तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेश्वनिशियल्स	नम्बर अहकाम तामील
2/1/18	वकील/वादी हाजिर, वकील प्रतिवादी [illegible] पूर्वलुप्त वादी/वकील [illegible] 1/4/18 को पेश हो। Pi 4	
15/3/18	वकील परीक्षित अत्र/प्रतिवादी सं. 1,7,8 की ओर से हाजिर हुए। प्रतिवादी लिखित बयान पेश नहीं किया है। इसलिए दुबारा [illegible] लिखित बयान दाखिल करायें। पत्रावली वादी/वकील [illegible] सं. 14 कि० 12/4/18 को पेश हो। Pi 4	
12/4/18	वकील परीक्षित द्वारा पूर्वलुप्ताहि० 3/5/18 को पेश हो। Pi 4	
28/5/18	पत्रावली अत्र राजेश कोर्ट अदालत अधिवक्ता [illegible] न्यास अपने हाथ 2018 कैम्प ग्राम पिपलत [illegible] द्वारा पेश हुई। प्रकरण को कैम्प कोर्ट में हस्ताक्षर जाकर सुना गया। प्रतिवादी सं. 14 प्रकरण में उपस्थित प्रमाणित नहीं होने के कारण कोई उपस्थ पेश करता नहीं चाहते हैं। प्रतिवादी सं. 1,7,8 वकील हाजिर आये किन्तु लेखी जवाब पेश नहीं किया। वादिक प्रतिवादीगण बधपूर्ण तात्त्विक उपस्थित नहीं आये इसलिए इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अर्थना पत्र में लिखित अभिवेदी के अनुसार अर्थीगण विरुद्ध	

Pi 4

Scanned by CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स रामेश्वर कोरा vs रामलखन वगैरा आदेश 7-9	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।

एवं अप्रार्थीगण विवादित भूसम्पत्ति के संयुक्त खातेदार है। प्रत्येक सहखातेदार का सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है, इसलिए सहखातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पार्थक किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त प्रकरण से संबन्धित वाद पत्र के अवलोकन से उभय पक्षकारान को कब्जा का अवलोकन किया जाना ही पर्याप्त है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। निर्णय सरे कोर्ट टाईप कुलवा कर/ पक्षकारों को फैक्स कुमार होकर नकल के क्रम से तथा हासिल दस्त रहे। Riy